...की क्रम ...और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
14.06.19		

न्यायालय, अपर समाहर्त्ता–सह– आर्बिट्रेटर, धनबाद
आर्बिट्रेशन केश नं0–12/2019

अरविन्द कुमार चौधरी —बनाम्— भारतीय राष्ट्रीय उच्च पथ प्राधिकार एवं अन्य

दावेदार के आवेदन के आलोक में बाघमारा अंचल अन्तर्गत मौजा–डोमनपुर, थाना नं0–218, खाता नं0–30 प्लॉट नं0–1170 भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय उच्च पथ–02 के 6 लेन चौडीकरण हेतु किये जाने के दौरान जिला भू–अर्जन पदाधिकारी द्वारा भूमि का वास्तविक मूल्य एवं उस पर निर्मित संरचना के वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर उचित मुआवजा का भुगतान नहीं किये जाने के निर्णय से क्षुब्ध होकर मध्यस्थम विधि के तहत उचित मुआवजा का भुगतान हेतु यह वाद प्रारंभ किया गया।

आवेदक के आवेदन पत्र एवं अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत कर बताया गया है कि अर्जित भूमि रकवा–2.20 डी0 भूमि एन0एच0ए0आई0 के चौडीकरण हेतु अधिग्रहण किया गया, जिसे पंचाट में 1.85 डी0 भूमि का पंचाट निर्मित कर मुआवजा का भुगतान किया गया, जो न तो विधि संगत है, न ही तर्क संगत है, अर्जित भूमि का मूल्यांकन व मुआवजा का निर्धारण आवासीय भूमि के आधार पर किया गया है, जबकि अधिग्रहण भूमि का क्षेत्र पूरी तरह व्यवसायिक उपयोग के लिए था। दूसरे तरफ अधिग्रहित भूमि का मुआवजा भुगतान के वर्ष के बाजार मूल्य पर न कर अधिग्रहत वर्ष के मूल्य पर किया गया, जिसे आवेदक को भुगतान की राशि में काफी अन्तर था। आवेदक द्वारा बाजार मूल्य पर मुआवजा का निर्धारण कर व्यवसायिक दर से मुआवजा राशि का भुगतान करने का अनुरोध किया गया है।

NHAI के प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर लिखित रूप से वाद को Not Maintainable बताकर अस्वीकृत/निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही उल्लेख किया गया कि भूमि का नियमानुसार गणना कर सही मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है।

अतः पक्षों को सुनने एवं कागजातों के अवलोकनोपरान्त मै पाता हूँ कि वास्तविकता की जॉच आवश्यक है। जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, धनबाद एवं एन0एच0ए0आई0 को निदेश दिया जाता है कि वास्तविकता की जांच करते हुए अर्जित भूमि, रकवा–1.85 डी0 एवं अवस्थित संरचानाओं का निर्धारित दर पर पुर्नमूल्यांकन कर यदि देय हो तो मुआवजा राशि आवेदक को नियमानुसार भुगतान करना सुनिश्चित करें। तथा शेष भूमि का भुगतान ही नहीं किया गया है, ऐसी स्थिती में अग्रेत्तर कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। तदनुसार वाद की अग्रेत्तर कार्रवाई समाप्त की जाती है।

ह0/– 14/6/19
अपर समाहर्त्ता
—सह—
आर्बिट्रेटर धनबाद।

लेखापित एवं संशोधित

ह0/– 14/6/19
अपर समाहर्त्ता
—सह—
आर्बिट्रेटर धनबाद।

Scanned with CamScanner